न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

वाद पत्र 38/2017

1. मानसेंग पिता हडिया जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. लालसेंग पिता हडिया जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.) .....वादीगण

बनाम

1. श्री भुरजी पिता सलीया डोडियार जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. वालु पिता भुरजी डोडियार जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमति भूरी पत्नी वालु डोडियार जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
4. लालसिंग पिता सलीया डोडियार जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
5. शम्भू पिता सलीया डोडियार जाति भील उम्र उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
6. छगन पिता सलीया डोडियार जाति भील उम्र उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सन्दलाई बडी पटवार हल्का टाण्डा रतना तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
7. श्री तहसीलदार सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज.) .....प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 27.8.2019

दावा अन्तर्गत धारा 183,209 राज. टिनेन्सी एक्ट

वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीगण के नाम खाता नं. 283 नई 426 पुरानी रकबा 10.12 एकड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है इनका विवरण निम्नानुसार है:–

खसरा	रकबा	लगान
543/2	1.04	0.96
702/3	1.04	1.96
702/2	1.19	1.95
707/2	0.04	0.10
708/2	0.18	0.85

713/2	0.04	0.20
838/1	1.04	1.04
1210/699	0.05	0.20
1774/884	3.10	3.50
योग 9	10.12	10.00

2.यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि वादीगण के पिता स्व0 हडिया पिता दितीया भील के नाम दर्ज थी जो उनके देहान्त के बाद विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई। उक्त आराजीयात में से आराजी नं. 543/2 रकबा 1.04 एकड वादीगण द्वारा मौके पर खेती नही करने से खाली पडी हुई थी जिस पर प्रतिवादीगण ने गत 3–4 वर्ष फसल बोई तथा पुछने पर कहा की खेत खाली पडा है हमने खेती की किन्तु जब भी आप कहेगे हम कब्जा हटा लेगे खेत आपका है। आपका ही रहेगा किन्तु इस वर्ष वादीगण द्वारा फसल सोयाबिन की फसल को नष्ट कर प्रतिवादीगण द्वारा दुबारा दुसरी फसल बौ दी तथा पुछने पर लडाई–झगडे पर उतारू हुवे व खेत नही देने की धमकी दी गांव के मौतविरान को भेजकर पुछवाया गया किन्तु प्रतिवादीगण लडाई – झगडे पर उतारू होकर खेत पर जबरन कब्जा जमाये हुवे है तथा मौके पर वादीगण के साथ कोई झगडा फसाद होने की सम्भावना है।

3.यह कि ग्राम के पंचायन द्वारा भी प्रतिवादीगण को समझाईस कर कब्जा छोडने की बात कही गयी किन्तु प्रतिवादीगण किसी भी किमत पर कब्जा छोडने को सहमत नही हुवे व एक दम आवेश मे आकर लडाई झगडें पर आमदा हुवे तब गांव के पंचान ने वादीगण को कानूनी कार्यवाही करने की राय दी जिस पर कानूनी सलाह से यह वाद पत्र खातेदारी की भूमि का कब्जा दिलाये जाने हेतू प्रस्तुत है।

वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री चाही गई :–

1.यह कि वादीगण को उक्त खतौनी क्रमांक खाता नं. 283 नई,426 पुरानी सर्वे नं. 543/2 रकबा 1.04 एकड को वाके ग्राम टाण्डा रतना मे स्थित है वादीगण खातेदार कृषक को मौके पर भूमि का कब्जा सुपुर्द कराने डिक्री जारी करना फरमावें एवं अन्य सहायता वादीगण को दी जा सके, दिलाना फरमावें ।

2.यह कि प्रतिवादी सं. 7 को मौके पर नियमानुसार कब्जा सुपुर्द कराने का आदेश प्रदान करना फरमावें ।

3.यह कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्व इस आशय का स्थाई निषेधादेश जारी करना फरमावें कि वादी की सहमति के बिना उक्त भूमि मे प्रवेश या किसी प्रकार का निर्माण या हस्तक्षेप नहीं करे ।

वाद बाद जाचं दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादी संख्या एक से छः की ओर जवाब निम्न लिखित रूप से पेश किया गया :–

यह कि वादपत्र चरण संख्या एक में वर्णित तथ्यों को वादीगण इसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे । अपितु वादीगण ने यह कही नही दर्शाया है कि उक्त कृषि भुमि किसी गांव में स्थित है।

1. यहकि वाद पत्र चरण संख्या दो में वर्णित खेत आराजी नम्बर 543/1 स्वीकार है लेकिन इसका रकबा 1.04 एकड होना अस्वीकार है जिससे वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नही है तथा इस चरण संख्या में वर्णित अन्य समस्त तथ्य में मनगढन्त मिथ्या होने से अस्वीकार है तथा उत्तर यह है कि उक्त खेतो को वादीगण के पिता मृतक हडीयां ने एवं स्वयं वादीगण ने साथ ही वादीगण के पिता हडीया के सगे भाई श्री चुनियां ने व उसके सभी वारिसान हितेष वगेरह ने भी अपने जीवनकाल में कभी भी काश्त नही की है तथा वास्तविक स्थिति यह है कि विवादीत खेत मूल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिधा 8 बिस्वा खेत नामे लिमडी वाला के साथ ही अन्य खेत जोकि वादीगण के पिता हडियां एवं हडिया के सगे भाई श्री चुनियां पुत्रगण दितीयां भील की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड थे जो मौके पर आपस मे बहामी विभाजन कर काश्त करते थें जिससे विवादित खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामे लिमडी वाला जो वादीगण के पिता हडीयां एवं सगे भाई श्री चुनियां भील के बहामी विभाजन के अनुसार श्री चुनियां पुत्र दितीयां के हिस्सें /विभाजन में आया होने से व उनके आपसी बहामी विभाजन के अनुसार उसके ही आधिपत्य का होने से श्री चुनियां पुत्र दितीयां भील ने उसके जीवनकाल में दिनांक 25.02.1985 को रूबरू गवाहान के समक्ष रूपया 9000/ अक्षरें – नौ हजार रूपाया मात्र मे रूबरू उक्त खेत का विक्रय का पंजीयन करवाने का आश्वासन देता रहा लेकिन देवयोग से अचानक उसकी मृत्यु हो गई इस कारण से उक्त खेत के विक्रय का पंजीयन नही हो पाया । लेकिन वादीगण के पिता हडियां एवं हडियां के भाई चुनियां के मरने के बाद बिना कब्जे काश्त के ही चोरी छिपे प्रतिवादीगण की जानकारी के बिना ही व बिना कब्जे के वादीगण ने एवं मृतक चुनिया के वारिसान हितेष वगेरह ने उक्त खेतो को उनके नाम से दर्ज रेकार्ड करवा कर चोरी छिपे राजस्व अधिकारियों से मीलकर बिना कब्जे ही की केवल रेकार्ड में कागजी विभाजन करवा लिया है जबकि विवादीत खेत का मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या एक भुरजी का विगत बत्तीस वर्षो से आज तब बदस्तुर सहमतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खरीदने के बाद उक्त खेत के रकबे पर हजारों रूपया खर्च करके उसे उन्नत, उपजाउ बनाया है एवं भुमि पर सुधार कार्य किये है लेकिन वादीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण से उन्होने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुवें उक्त वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है ।

2. यह कि वादपत्र चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य झुठे होने से अस्वीकार है।

3. यह कि वादपत्र चरण संख्या चार में वर्णित समस्त तथ्य झुठे होने से एवं राज. का. अधि. के प्रावधानो के खिलाफ होने से अस्वीकार है । वाद बेदखली का होने से प्रतिवादी संख्या सात इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार की क्षेणी मे नही आता है।

4. यह कि वादपत्र चरण संख्या पांच अस्वीकार है।

5. यहकि वादपत्र चरण संख्या छः अस्वीकार है।

6. यह कि वादपत्र चरण संख्या सात व इसका उपचरण 1 से 4 अस्वीकार है। वादीगण ने मनगढन्त तथ्यो के आधार पर उक्त भुमि को प्रतिवादी संख्या एक को बेचान कर देने के बावजुद भी उन्होने न्यायालय को गुमराह करने की खोटी नियत से यह झुठा वादा पेश किया है जो दुर्भाग्यपुर्ण होकर निरस्त होने योग्य है। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त फरमाया जावे ।

यह कि इन उपर की आपत्तियों को सुरक्षित रखते हुवे उनके कोई बाधा डाले बगेर विकल्प में विशेष आपत्ति प्रतिवादीगण की ओर से निम्न लिखित पेश है:–

7. यह कि विवादीत खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामे लिमडी वाला के साथ ही अन्य खेत जोकि वादीगण के पिता हडियां एवं हडियां के सगे भाई श्री चुनियां पुत्रगण दितीयां भील की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थे जो मौके पर आपस मे बहामी विभाजन कर काश्त करते थे जिससे विवादीत खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामें लिमडी वाला जो वादीगण के पिता हडीयां एवं सगे भाई श्री चुनिया भील के बहामी विभाजन के अनुसार श्री चुनिया के हिस्सें /विभाजन में आया होने से व उनके आपसी बहामी विभाजन के अनुसार उसके ही आधिपत्य को होने से श्री चुनिया पुत्र दितीया भील ने उसके जीवनकाल में दिनांक 25.02.1985 को रूबरू गवाहान के समक्ष रूपया 9000/ अक्षरे नौ हजार रूपया मात्र में रूबरू गवाहान किमतन विक्रय कर खेत बेचाननामा प्रतिवादी संख्या एक भुरजी के हक में लिख कर तब रूबरू गवाहान के उक्त खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा कब्जा सोप दिया होकर उक्त बेचान दिनांक से ही आज तक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से प्रतिवादी संख्या एक का कृषियुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा बेचान के बाद से वादीगण व उसके पिता हडियां व उसके भाई चुनियां के पुत्रगण हितेष वगेरह का उसके जीवनकाल में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है एवं हर वर्ष प्रतिवादी संख्या एक भुरजी ही काश्त करता चला आ रहा है एवं फसल प्राप्त कर रहा है तथा उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या एक का एक टापरा भी बना हुवा होकर उसमें वह निवास करता चला आ रहा है एवं फसल प्राप्त कर रहा है तथा उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या एक का एक टापरा भी बना हुवा होकर उसमे वह निवास करता चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या एक के बोये हुवे पुराने नीम एवं बावलियां के हरे वृक्ष भी स्थित है जिसे सारां गांव जानता है। चुनिया जब तक जीवित रहा तब तक वह प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में उक्त खेत का विक्रय पंजीयन

करवाने का आश्वासन देता रहा लेकिन देवयोग से अचानक उसकी मृत्यु हो गई इस कारण से उक्त खेत के विक्रय का पंजीयन नही हो पाया । लेकिन उक्त खेत पर वादीगण व उनके पिता हडीया एवं हडिया के सगे भाई श्री चुनियां पुत्रगण दितीया की जानकारी में विगत बत्तीस वर्षो से सहमती पुर्ण कृषि युक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादीगण के पिता हडियां एवं हडियां के भाई चुनियां के मरने के बाद बिना कब्जे काश्त के ही चोरी छिपे प्रतिवादीगण की जानकारी के बिना ही व बिना कब्जे के खोटी नियत से वादीगण ने एवं मृतक चुनिया के वारिसान हितेष वगेरह ने उक्त खेतो को उनके नाम से दर्ज रेकार्ड करवा कर चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मीलकर बिना कब्जे ही की केवल रेकार्ड में कागजी विभाजन करवा लिया है जबकि विवादीत खेत का खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या एक भुरजी का विगत बत्तीस वर्षो से आज तक बदुस्तुर खुल्लमखुल्ला प्रत्यक्ष रूप से कृषियुक्त सहमतिपुर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उसे निष्कासन करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है जिससे वादीगण का वादपत्र कानुनी रूप से पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि वादीगण में वाद का व्यवहार कारण एवं उसकी तिथि अंकित नही करने साथ ही वादीगण के वादपत्र में आदेश 7 नियम 11 व्य0प्र0स0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही करने से वादीगण का वादपत्र कानुनी रूप से पोषणीय नही होने से साथ वादीगण का वादपत्र बेरून मयाद होने से भी निरस्त होने योग्य है।

9. यह कि विवादित भुमि पर प्रतिवादीगण सहमतिपुर्ण कब्जा होने से वादीगण का वादपत्र कानुनी रूप से पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य है तथा वादीगण ने अपने वादपत्र में विवादित खेत आराजी नम्बर 543/1 का रकबा 1.04 एकड दर्शाया है जिससे भी वादीगण का वादपत्र कानुनी रूप से पोषणीय नही होने से निरस्त योग्य है साथ ही मुल खेत आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा के पुर्व सहखातेदार मृतक चुनिया के वारिसान हितेष, वालसेंग,कलसेंग, हरिंग पुत्रगण चुनिया हरिश ना0बा0स0 माता बिजु बेवा चुनिया इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से वादीगण का वादपत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रतिदावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 रा0का0अ0 प्रतिवादीगण द्वारा निम्न प्रकार पेश किया गया :–

1.यह कि विवादीत खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामे लिमडी वाला के साथ ही अन्य खेत जोकि वादीगण के पिता हडियां एवं हडियां के सगे भाई श्री चुनियां पुत्रगण दितीयां भील की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थे जो मौके पर आपस मे बहामी विभाजन कर काश्त करते थे जिससे विवादीत खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामें लिमडी वाला जो वादीगण के पिता हडीयां एवं सगे भाई श्री चुनिया भील के बहामी विभाजन के अनुसार श्री चुनिया के हिस्सें

/विभाजन में आया होने से व उनके आपसी बहामी विभाजन के अनुसार उसके ही आधिपत्य को होने से श्री चुनिया पुत्र दितीया भील ने उसके जीवनकाल में दिनांक 25.02.1985 को रूबरू गवाहान के समक्ष रूपया 9000/ अक्षरे नौ हजार रूपया मात्र में रूबरू गवाहान किमतन विक्रय कर खेत बेचाननामा प्रतिवादी संख्या एक भुरजी के हक में लिख कर तब रूबरू गवाहान के उक्त खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा कब्जा सोप दिया होकर उक्त बेचान दिनांक से ही आज तक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से प्रतिवादी संख्या एक का कृषियुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा बेचान के बाद से वादीगण व उसके पिता हडियां व उसके भाई चुनियां के पुत्रगण हितेष वगेरह का उसके जीवनकाल में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है एवं हर वर्ष प्रतिवादी संख्या एक भुरजी ही काश्त करता चला आ रहा है एवं फसल प्राप्त कर रहा है तथा उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या एक का एक टापरा भी बना हुवा होकर उसमें वह निवास करता चला आ रहा है एवं फसल प्राप्त कर रहा है तथा उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या एक का एक टापरा भी बना हुवा होकर उसमे वह निवास करता चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या एक के बोये हुवे पुराने निम एवं बावलियां के हरे वृक्ष भी स्थित है जिसे सारां गांव जानता है। चुनिया जब तक जीवित रहा तब तक वह प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में उक्त खेत का विक्रय पंजीयन करवाने का आश्वासन देता रहा लेकिन देवयोग से अचानक उसकी मृत्यु हो गई इस कारण से उक्त खेत के विक्रय का पंजीयन नही हो पाया । लेकिन उक्त खेत पर वादीगण व उनके पिता हडीया एवं हडिया के सगे भाई श्री चुनियां पुत्रगण दितीया की जानकारी में विगत बत्तीस वर्षो से सहमती पुर्ण कृषि युक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादीगण के पिता हडियां एवं हडियां के भाई चुनियां के मरने के बाद बिना कब्जे काश्त के ही चोरी छिपे प्रतिवादीगण की जानकारी के बिना ही व बिना कब्जे के खोटी नियत से वादीगण ने एवं मृतक चुनिया के वारिसान हितेष वगेरह ने उक्त खेतो को उनके नाम से दर्ज रेकार्ड करवा कर चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मीलकर बिना कब्जे ही की केवल रेकार्ड में कागजी विभाजन करवा लिया है जबकि विवादीत खेत का खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या एक भुरजी का विगत बत्तीस वर्षो से आज तक बदुस्तुर खुल्लमखुल्ला प्रत्यक्ष रूप से कृषियुक्त सहमतिपुर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है । एवं उसे निष्कासित करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है इस प्रकार विवादीत खेत का खेत मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या एक भुरजी का विगत बतीस वर्षो से आज तक बदस्तुर सहमती पुर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उसे निष्कासन करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है इस प्रकार विवादीत खेत का मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या एक भुरजी का विगत बत्तीस वर्षो से आज तक बदस्तुर सहमति पुर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खरीदने के बाद उक्त खेत के रकबे पर हजारों रूपाय खर्च करके उसे उन्नत , उपजाउ, बनाया है एवं भुमि

सुधार कार्य किये है लेकिन वादीगण की नियत मे खोंट आ जाने के कारण से उन्होने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुवे उनके द्वारा अभी माह अटुम्बर 2017 में प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पेश कर उन्होने प्रतिवादी संख्या एक के उक्त खेत के आधिपत्य को चुनोती दी एवं अब वे वाद की आड में उसके उक्त खेत के कब्जे युक्त कर देने के की कोशिश में प्रयासरत होने से प्रतिवादी संख्या एक को यह प्रतिदावा विरूद्व वादीगण पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है।

3.यहकि वादपत्र प्रतिदावा का कारण अभी माह अक्टुम्बर 2017 में वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ मनगढन व झुठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के उक्त खेत के आधिपत्य का चुनोती देने एवं अब वे वाद की आड में वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के उक्त खेत के कब्जे युक्त कर देने की कोशिश में प्रयासरत होने से आदि कारण से निरन्तर पैदा होता रहा है।

4.यहकि प्रतिदावा के माध्यम सें प्रतिवादी संख्या एक सहायता चाहता है कि प्रतिवादी संख्या एक के हक में विरूद्व वादीगण निम्न लिखित आशय का जयपत्र प्रदान किया जावें ऐसा कि :– अः– यह कि यह घोषित किया जावे कि मुल आराजी नम्बर 543 रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा खेत नामे लिमडी वाला टाण्डा रतना मजरा सन्दलाई बडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा पर प्रतिवादी संख्या एक का विगत बत्तीस वर्षो सें आज तक बदस्तुर सहमतिपुर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त खेत पर प्रतिवादी संख्या एक के कब्जे काश्त को संरक्षण प्रदान करते हुवे वादीगण को धारा 92ए, रा0का0अ0 के तहत जरिये निषेधाज्ञा के द्वारा पाबन्ध किये जावे की वे प्रतिवादी संख्या एक के उक्त खेत में सहमतिपुर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से कोई अनुचित हस्तक्षेप नही करे ऐसा न तों वे स्वयं करे एवं नही अपने किसी हमराहीयो से करावे ।

प्रकरण में वादी की ओर से प्रतिदावा का जवाब निम्नानुसार पेश किया गया :–

1. यह कि प्रतिवादी की ओर से प्रतिदावा में चरण सं. 1 वादीगण को स्वीकार नही है तथा जवाब ये है कि प्रतिवादी भुरजी का कथन है कि चुनिया पिता दितिया ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25.02.1985 को रूबरू गवाहान के रूपया 9000/–रू में बेचाननामा द्वारा खेत आराजी 543 रकबा 2.08 बिघा भूमि बेच कर कब्जा भूरजी को दे दिया है व वही काश्त करता है, एवं हडियां व चुनिया सगे भाई थे तथा वहामी विभाजन कर काश्त करते थे एवं आराजी नं 543 रकबा 2.08 बिघा चुनियां के हिस्सें में आया था तथा ये कहना की चुनियां के व हडिया के मरने के बाद बिना कब्जे काश्त के चोरी छिपे दर्ज रेकार्ड करा लिया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर केवल रेकार्ड में कागजी विभाजन करा लिया । यह विचारणीय बिन्दु है कि वर्ष 1985 में भूमि खरीदी हो एवं 32 वर्षो तक रजिस्ट्री नही कराई हो तथा अब भी प्रतिवादी के पास किसी प्रकार का कोई विक्रय पत्र दस्तावेज नही होने के बाद भूमि 32 वर्ष पूर्व खरीदना बताकर घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया है तथा स्व0 चुनिया व हडियां के जीवन काल मे जमाबन्दी सम्वत् 1958–61 में खाता नं. 78 श्री चुनियां पिता

दितीयां 1/2 मानसिंग , लालसिंग पिता हडियां 1/2 दर्ज रेकार्ड था इसका खसरा नं. 543 रकबा 2.08 बिघा दर्ज है इस प्रकार यदि चुनियां ने कोई हिस्सा रकबा विक्रय किया है तो 1/2 हिस्सा अर्थात 1.04 बिघा बनता है, तथा चुनियां के हिस्सें का भी कोई दस्तावेज नही हुवा है, विवादीत भूमि का पुर्व में कोई बंटवारा नही हुआं था ।

किन्तु बाद में चुनिया पिता दितीयां एवं मानसिंग , लालसिंग पिता हडियां ने राजस्व अभियान के दौरान आपसी रजाबन्दी से बंटवारा कराया तथा मौके पर वादीगण का कब्जा है यदि चुनियां पिता दितीयां ने अपना हिस्सा प्रतिवादी को विक्रय किया है तो प्रार्थी को आपत्ति नही है । किन्तु प्रार्थी ने दिनांक 03.05.2017 को पटवारी हल्का व भू – अभिलेख निरीक्षक द्वारा भूमि का सीमा ज्ञान कराया गया है तब भी वादीगण का कब्जा था कोई विवाद नही है। अतः प्रतिदावा चरण सं. 1 मनगढन्त व कोई साक्ष्य या सबुत दस्तावेज नही होने के कारण प्रतिदावा खारिज योग्य है जिसे खारिज करना फरमावें ।

विशेष आपत्तिः– प्रतिवादी द्वारा जबरन खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मे दखल करने व खातेदार की बोई हुई फसल मे दुबारा बोवनी कर देने व लडाई–झगडें पर उतारू होने से वादीगण द्वारा कब्जा हटाने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी वादीगण ने न तो किसी दस्तावेज से एवं न ही मौखिक रूप से अपने हिस्से का विक्रय किया है , जिसे अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा जबरन चुनिया पिता दितीया द्वारा किसी इकरानामे को प्रार्थी वादीगण पर लागु करने की चेष्टा कर रहा है, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 बिना आधार बिना दस्तावेज बिना गवाहान के तथ्यहीन प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किया जा कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 183–209 रा.का.अधि. के तहत वादीगण के हक मे निर्णय प्रदान कर वादीगण को अुनतोष प्रदान करने की कृपा करेगें ।

वादपत्र ,जवाब वाद , प्रतिदावा एवं जवाब प्रतिदावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1 यह कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में वादीगण का हक एवं खातेदारी मे दर्ज है, जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है । ... बजिम्में वादीगण

2.यह कि चरण सं. 2 व 3 मे खातेदार वादी की खातेदार की भूमि में फसल नष्ट कर दी व दुबारा फसल बो दी मौके पर लडाई–झगडा करता है, प्रतिवादी का कोई हक नही है। जिसमे वादीगण पुर्ण रूप से हकदार है । ... बजिम्में वादीगण

प्रतिदावा के बिन्दु :–

- प्रतिदावा के वाद बिन्दु सं0 1 मे आराजी नं. 543 रकबा 2.08 बिघा हडिया व चुनियां सगे भाई थे पुरा खेत बहामी विभाजन अनुसार चुनिया के हिस्सें में आया व चुनियां ने दिनांक 25.02.1995 को किम्मत रूपया 9000/ रू में प्रतिवादी सं. 1 को पुरा खेत बेचकर कब्जा सोंप दिया तथा प्रतिवादी भुरजी का मौके पर टापरा बना हुआ है जिसमें प्रतिवादी भुरजी निवास करता है, तथा प्रतिवादी वादी के बोये

हुवे नीम व बबुल के पेड है,प्रतिवादी सं0 1 का रकबा 2.08 पर 32 वर्षो से कब्जा है।

.....बजिम्मे प्रतिवादीगण

अनुतोष ?

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी ग्राम टाण्डा रतना सवंत 2070 से 73 खाता संख्या 283 एवं नक्शा ट्रेस 543/1 एवं 543/2, नक्शा ट्रेस खसरा नं. 543 पेश किये गये।साक्ष्य वादी मानसिंग पिता हडिया , जोरजी पिता कालियां,गोतम पिता दुदा , मडिया पिता भोदर , श्रीमति कंकु पत्नी मानसिंग के शपथ पेश कर बयान कराये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये । प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में खेत बयान नामा 25.2.1985,जमाबन्दी सवंत 2042 से 2045 , खाता नं. 226 ,जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 खाता नं. 67 नकल जमाबन्दी संवत 2058 से 61 खाता नं. 78 ,नामान्तरण संख्या 1209 ,नामान्तरण संख्या 1366 ,नामान्तरण संख्या 1435 पेश किये गये । मौखिक साक्ष्यों में भुरजी पिता सलियां , पुंजालाल पिता झिथिंग , वालु भाई पिता रूपजी एवं मड़िया पिता भोदर के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये गये एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये ।

पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया।तनकीवार विशलेषण निम्न प्रकार है:–

1. तनकी संख्या एक को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी ने इस बाबत जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम टाण्डा रतना खाता संख्या 283 , नक्शा ट्रेस खसरा नं. 543 एवं 543/1एवं 543/2 पेश की है। जमाबन्दी अनुसार खसरां संख्या 543/2 रकबा 1.04 वादीगण के नाम दर्ज है। उक्त तनकी वादीगन के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी संख्या 2 को सिद्व करने का भार वादी पर है । वादीगण ने इस बाबत मानसिह जोरजी, गोतम , मडियां, श्रीमति कंकू के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये है। उक्त मौखिक साक्ष्यों से सिद्व होता है कि विवादित भूमि पूर्व में दीतिया पिता डोटिया के नाम या/उसके मरने के पश्चात उसके दो लडके हडिया एवं चुनियां ने विवादित भुमि को आधा आधा बांट लिया था। विवादित भुमि पुर्व मे हडियां के हिस्सें में आई थी । जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक नही है । फिर भी प्रतिवादीगण वाद विवाद करते रहते है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

3.तनकी संख्या तीन को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी बाबत् पेश जमाबन्दी ग्राम टाण्डा रतना संवत 2042 से 45 (प्रदर्श 1) से यह जाहिर होता है कि खसरा नं. 543 हडिया , चुनियां पिता दितीयां के नाम दर्ज है। लेकिन प्रतिवादीगण ने हडिया चुनिया में खसरा नं. 543 के बाहमी विभाजन के अनुसार चुनियां की हिस्से मे आने का जो कथन किया है वह उनके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रो से ही जाहीर हो रहा है लेकिन जिरह के दौरान किसी भी गवाह नें बाहमी विभाजन बाबत् कोई कथन नही किया है । बाहमी विभाजन बाबत कोई दस्तावेजी

साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किये गये है। जिससे खसरा नं. 543 चुनियां के हिस्से में आना सिद्व नही होता।इसके अतिरिक्त दिनांक 25.2.1985 का जो खेत बेचाननामा पेश किया गया है वह अपंजीकृत होकर सात रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया है। उक्त स्टाम्प सन 1985 में लिखा गया है तत्समय खसरा नं. 543 जमाबन्दी सवत 2042 से 45 (प्रदर्श 1) के अनुसार हडिया , चुनियां पिता दितीयां के नाम सामलाती रूप में दर्ज था । इस प्रकार वक्त बेचान खसरा नं. 543 अकेले चुनियां के नाम दर्ज नही थी । इस कारण चुनिया को विवादीत सम्पूर्ण खसरा नं. को बेचने का अधिकार नही था । प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिदावा में सहमति को कब्जे का कथन किया है यदि सहमति पूर्ण कब्जा होता तो वादी को वाद लाने को मजबुर नही होना पडता । प्रतिवादी भी सहमति पुर्ण कब्जे के आधार पर 1985 से 2017 तक (वाद दायर करने का वर्ष) तक विवादीत भुमि का पंजीकरण करा सकता था अथवा इसके आधार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता था । लेकिन प्रतिवादी ने वादी के वाद दायर करने के पश्चात प्रतिदावा प्रस्तुत किया जो प्रतिवादीगण के नियत पर संदेह प्रकट करता है । इस प्रकार प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्व नही कर पाये है ।

आदेश

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण से वाद वादी के पक्ष में सिद्व होता है प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जाता है। ग्राम टाण्डा रतना की जमाबन्दी के खाता नं. 283 के खसरा नं. 543/2 रकबा 1.04 पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है एवं उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण एवं हस्तक्षेप नही करें । तहसीलदार सज्जनगढ को आदेश दिये जाते है कि वे वादीगण को उक्तानुसार कब्जा दिलावे । आदेशानुसार डिक्री जारी हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ